अंतिम तिथि 31.10.2019

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,

क्रमॉक 598 /आउशि/छा.शा./19 भोपाल दिनॉक 9-7-19

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   इंदौर/उज्जैन/भोपाल/नर्मदापुरम/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर/सागर संभाग,,
   मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः– मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. के सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ एवं पिछडा वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध उपाधि (पीएच.डी.) हेतु पुरस्कार राशि हेतु आवेदन आमंत्रित करने बाबत् ।

———0———

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों मे अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये शोध उपाधि (पीएच.डी.) पुरस्कार राशि वर्ष 2019–20 हेतु छात्र–छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञप्ति प्रकाशित किया जा रहा है , जिसकी अंतिम तिथि 31.10.2019 निर्धारित की गई है ।

अतः छात्र–छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जावे कि आवेदन पत्र दिनॉक 31.10.2019 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जायें । मार्गदर्शिका सिध्दांत की प्रति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उच्च शिक्षा की बैबसाइट **www.highereducation.mp.gov.in** पर देखा जा सकता है । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

बेटी है तो कल है

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर

पृ. क्र.– अजा/अजजा (प्रको.)2019/560 दिनांकः– 13 AUG 2019

प्रतिलिपि :–

1/ समस्त विभागाध्यक्षों/निदेशकों/समन्वयकों, समस्त अध्ययनशालाओं, एवं संस्थानों की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सूनिश्चित करने हेतु प्रस्तुत।

2/ विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेंटर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

3/ कुलपति के सचिव, एवं कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।

उप कुलसचिव
अजा/अजजा(प्रको.)

अंतिम तिथि 31.10.2019

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुडा भवन, भोपाल 462004
//विज्ञापन//

शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य, अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एवं अन्य पिछडा वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध उपाधि (पीएच.डी.) के लिए पुरस्कार राशि हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत्।

योजना वर्ष 2019–20

शिक्षा सत्र 2009–10 से प्रारंभ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध उपाधि (पीएच.डी.) के लिए पुरस्कार राशि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 मे भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है । इस योजना के नियम/मार्गदर्शी सिध्दांत निम्नानुसार होंगे :–

1. पात्रता:– ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो,–

अ. पीएच.डी. के शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय मे **शोध उपाधि हेतु शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो ।**

ब.. स्नातकोत्तर उपाधि मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थियों ने निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हों ।

स.. ,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र हो जो कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया हो ।

द. छात्र–छात्राओं की पालकों की आय सीमा म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित रूपये 1,00,000/–(रूपये एक लाख) वार्षिक की अधिकतम सीमा से अधिक न हो ।

विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है) । **(छात्र–छात्राओं का स्वयं का आय प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा)**

य. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो जिसके प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है) ।

र. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो ।

2. वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसका पंजीयन इन नियमों के जारी होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया हो ।

3. पुरस्कार राशि धारक जिस शोध कार्य के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है उसके लिये तो वह कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेगा, और न अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेंगा यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पूर्व से ही कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, तो उसे इस पुरस्कार राशि का लाभ उठाने के लिये पूर्व की छात्रवृत्ति/वजीफा छोड़ना पड़ेगा, अर्थात एक समय में केवल एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । अग्रेषणकर्ता अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन पत्रों को अग्रेषित करें, विद्यार्थी किसी प्रकार की शासकीय सेवा में भी कार्यरत न हों ।

बेटी है तो कल है

निरंतर ....

4. **चयन प्रकिया :–**

अ. शोधार्थियों का चयन केवल विद्यार्थियों की संख्या की सीमा में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाई गई चयन सूची में से कमानुसार निर्धारित कोटे अथवा सीमा तक किया जावेगा ।

ब.. यदि कोई आवेदक /शोधार्थी संबंधित संकाय विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर समान अंक प्राप्त करता हैं तो वहॉ एम.फिल. धारक को एम.फिल में प्राप्त अधिक अंक वाले एवं अतिरिक्त योग्यता धारक को प्राथमिकता दी जावेगी ।

स.. यदि दोनों आवेदक एम.फिल हों एवं समान अक हों तो जिसका पंजीयन पूर्व का है उसे प्राथमिकता दी जावेगी ।

5. पुरस्कार राशि का वितरण :– प्रोत्साहन राशि 3 चरणो में भुगतान की जावेगी ।

अ. शोध उपाधि के पंजीयन हेतु 10,000/– रूपये (पजीयन उपरांत)

ब. शोध निर्देशक की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान कार्य की 60 प्रतिशत प्रगति पर रूपये 30,000/–

स. अनुसंधान कार्य पूर्ण करने एवं पीएच.डी.उपाधि प्राप्त होने पर .रूपये 60,000/–

6. म.प्र. के बाहर के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोध/शोधार्थियों को उपरोक्तानुसार अपने आवेदन पर निर्देशक से प्रमाणित करवाकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को विनियम/अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा ।

7. शोध प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को निर्धारित राशि का भुगतान किया जावेगा । इस योजना का कियान्वयन उच्च शिक्षा के समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा के कार्यालय द्वारा किया जावेगा । **ऐसे सभी मामले में जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है, उनमें आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।**

8. आवेदन पत्र संबंधित संस्था प्रमुख से अग्रेषित कराकर इस कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा सतपुडा भवन, भोपाल के नाम से दिनॉक **31.10.19** तक प्राप्त हो जाना चाहिये । अन्य जानकारी **www.highereducation.mp.gov.in** उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध है । साथ ही विभाग के क्षेत्रीय सभागीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो से भी प्राप्त की जा सकती है ।

9. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । इस संदर्भ में आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छात्रवृत्ति से भी दूरभाष नम्बर 0755–2554763 पर संपर्क किया जा सकता है ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

बेटी है तो कल है

निरंतर 3

आवेदन का प्रारूप

शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध उपाधि (पीएच.डी.) करने हेतु पुरस्कार राशि हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2019–20

अंतिम तिथि 31.10.2019

संकाय ....विषय.................................... पंजीयन तिथि...

1.	शोध छात्र का पूरा नाम	
2.	पिता/अभिभावक का पूरा नाम	
3.1.	विद्यार्थी का पता स्थायी/ पत्र व्यवहार का पता	....
3.2.	ई.मेल.आई.डी.	....
3.3	दूरभाष/मो.नं.	....
3.4	बैंक खाता कं.	....
3.5	बैंक का नाम	....
3.6.	बैंक का आई.एफ.सी.कोड	....
3.7	आधार कार्ड की प्रति	....
4.	विश्वविद्यालय का पूरा नाम जिसमें आवेदक पंजीकृत है	
5.	पीएच.डी. का विषय, शीर्षक	
6.	पंजीयन कमॉक एवं दिनॉक छाया प्रति संलग्न करें	
7.	शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण सत्यापित सूची संलग्न करें ।	
8.	विकलांगता का प्रमाण पत्र संलग्न करें	

क	परीक्षा का नाम	वोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षाउत्तीर्ण का वर्ष	अनुकं.	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

9.	पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति कलेक्टर /सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो ।	
10.	म.प्र.का मूलनिवासी प्रमाणपत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है) ।	
11.	माता–पिता/अभिभावक की समस्त श्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय प्रमाण पत्र के संबध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 25–9–2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" बेबसाईट पर अपलोड किया गया है) ।	
12.	उस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम जिसमें शिक्षा सत्र 2018–19 में परीक्षा उत्तीर्ण की हो। डिग्री /अंकसूची की प्रमाणित प्रति	
13.	पी.एचडी. की अवधि	
14.	शोध केन्द्र का नाम	
15.	मार्गदर्शक प्रोफेसर/गाईड/सह मार्गदर्शक (को–गाईड का विवरण) 1.नाम 2.महाविद्यालय/सेवारत संस्थान का नाम 3. पद नाम	

बेटी है तो कल है

निरंतर 4

घोषणा

6. मैं एतद प्रति, यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे प्रति दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं ।
7. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदित पुरस्कार राशि के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से शोध कार्य में संलग्न रहूँगा/रहूँगी और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोंतों से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी ।
8. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि में कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करूंगा/करूंगी ।
9. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि यदि मेरे प्रति शोध अवधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने पर अर्थात घोषणा पत्र में दिये गये शर्तो के विपरीत कार्य करने पर शासन प्रति शोध पुरूस्कार के रूप में दी गई राशि को ब्याज सहित वापिस करूंगा/करूगी।

10. स्थान :–
दिनाँक :–

संलग्न :–सहपत्रों की संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर

बेटी है तो कल है

निरंतर 5

शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
को दिनॉक ....को पीएच.डी.विषय...
....संकाय..में नियमित/पूर्णकालिक छात्र के रूप में प्रवेश लिया गया है और इनका शोध कार्य अभी जारी है । मैने इस आवेदन पत्र की पृविष्टियों की जॉच कर ली है, वे सही है इनका शोध केन्द्र .... एवं पंजीयन तिथि................ .... है, ।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त शोधार्थी का कार्य व्यवहार एवं आचरण अच्छा/उत्तम कोटि का है ।

कुल सचिव/संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील

बेटी है तो कल है

—0—